न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 71/2022(2022/231)

1. छोटी देवी पत्नी पीरूलाल जाति गाई निवासी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।

——प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय केकडी।

—— अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:–
प्रार्थी वकील – श्री इमदाद अली
पेराकार सरकार – जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 14.5.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** की जमाबन्दी संवत **2073–76** में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
440–428	1409/4922 592/5300	0.66 0.77	बारानी 1 बारानी 3
	कुल किता 2	रकबा 1.43हैक्टर	

उपरोक्तानुसार वर्णित आराजीयात प्रार्थीया की कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जो कि प्रार्थी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिस पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थीया अपनी कृषि आराजीयात में तामिरात व तारबंदी का कार्य करवाना चाहती है जिसके लिए उसके कब्जे स्वामित्व आधिपत्य वाली उपरोक्त वर्णित आराजीयात में तामिरात व तारबदी करवाते समय आस पडोसीयो से सीमा को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहो हो इसलिए प्रार्थीया अपीन खातेदारी की आराजीयात पर तारबंदी हेतु सीमाकंन करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहती है। प्रार्थीया ने प्रतिवादी संख्या 1 के कार्यालय में उक्त आराजी की स्थायी पत्थरगढी करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निम्न वर्णित आराजीयात का मोके पर जाकर सीमा ज्ञान नही किया तथा सीमा ज्ञान के प्रार्थना पत्र हल्का पटवारी द्वारा यह कहते हुये की श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय केकडी द्वारा आदेश दिलवाने पर ही उक्त आराजी का सीमाकन पत्थरगढी की जावेगी इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सीमाकन कर पत्थरगढ़ी करने से मना करने के उपरान्त श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी की आराजीयात की स्थायी पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब में बताया कि राजहित प्रभावित नही है प्रार्थी द्वारा पडोसी खातेदारन को पक्षकार नही बनाया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है।खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम बघेरा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता संख्या नया पुराना 440–428 के खसरा नंबर 1409/4922 रकबा 0.66हैक्टर तथा खसरा नंबर 592/5300 के रकबा 0.77हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत मे सुने जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.22 11:38:22 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकडी (अजमेर)

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकडी जिला–अजमेर

Scanned with CamScanner